कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 1136 / 11–सी–FP / UP / Trans / 18048 / 2016, लखनऊः दिनांकः दिसम्बर 06, 2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मिर्जापुर क्षेत्र,
मिर्जापुर।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रेणुसागर पावर डिवीजन), रेणुसागर को 132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाइन हेतु हस्तांतरित 38.2591 हे0 आरक्षित वनभूमि के पट्टे का 25 वर्षो के लिए (दिनांक 09.02.2016 से 08.02.2041 तक) लीज नवीनीकरण के संबंध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी / यू0पी0 / 04 / 68 / 2019 / एफ0सी0 / 244, दिनांक 14.08.2019 एवं उ0प्र0 शासन का पत्रांक–131 / 81–2–2019–145(233) / 64, दिनांक 27.09.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयॉकित प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण आपने अपने पत्रांक–2600 / मी0क्षे0 / 33, दिनांक 02.12.2019 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है जिसके परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित कमियों / अभिलेखों का अभाव पाया गया हैः–

1. भारत सरकार की आपत्ति सं0–2 के निराकरण के क्रम में प्रस्तावित एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की 1:50000 माप की रंगीन सत्यापित टोपोशीट संलग्न की गयी है, किन्तु ऑनलाइन पार्ट–1 में प्रस्तावित वनभूमि की फुल रंगीन सत्यापित टोपोशीट तथा ऑनलाइन पार्ट–2 में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की फुल रंगीन सत्यापित टोपोशीट अपलोड नहीं की गयी है।
2. भारत सरकार की आपत्ति सं0–5 के निराकरण के क्रम में भारत सरकार की गाइडलाइन दिनांक 29.10.2018 के अनुसार उल्लंघन के फलस्वरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा करायी जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना एवं दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेख संलग्न नहीं किये गये है।

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण में उपरोक्त कमियों को दूर करते हुये भारत सरकार द्वारा की गयी आपत्तियों का पूर्ण बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना / अभिलेख संस्तुति सहित तीन प्रतियों में तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 1136 / 11–सी– FP / UP / Trans/18048/2016, दिनांकित।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
2. सहायक महाप्रबन्धक, मै0 हिण्डालकों इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट–सोनभद्र।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक [illegible] / मी0/33 दिनांक दिसम्बर 10, 2019
प्रतिलिपि [illegible] को इस [illegible] से प्रेषित कि [illegible] के सम्बन्ध में वांछित सूचना / अभिलेख तत्काल [illegible] कराना सुनिश्चित करें।

Acy-2010

मुख्य वन संरक्षक,
[illegible] क्षेत्र, [illegible]